न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपुर

पीठासीन अधिकारीः–

अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः–54/21 ई.दी

निर्णय दिनांकः–13.07.2021

1 श्री जीवालाल पिता धना पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी मेवडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88 रा.टी एक्ट व 136 भु–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2. 5090 हैक्टेयर होकर स्थित है। जो वादी व उसके सहखातेदारों के नाम दर्ज होकर पुर्वजों से ही कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात में अपने हिस्से पर लोन लेने हेतु खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी का नाम जीवतराम पिता धना मीणा दर्ज है। जबकि वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेनकार्ड, डीएल में जीवालाल पिता धना नाम दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर उक्त आराजी में नाम संशोधित करने की बात कही जिस पर पटवारी ने नामान्तरण में ही जीवतराम दर्ज होना बताया गया। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि वादी के पिता धना के फोत होने पर नामान्तरण दर्ज करते समय पेमजी, वीरमल पिता धना, सनु पत्नि धना के नाम के साथ वादी का नाम गलती से जीवतराम दर्ज हो गया है। जबकि जीवतराम नाम का धना के कोई विधिक वारिसान नहीं है। वादी जीवालाल ही धना का लडका होकर विधिक वारिसान है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी पटवारी व प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदानर से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात करने पर रिकॉर्ड दूरस्त करने से मना कर दिया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजी ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर से बेदखल न करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज की जांच करने पर जीवतराम पिता धना व जीवालाल पिता धना दोनों एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकॉर्ड में जीवतराम को जीवालाल करना उचित है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर में जीवतराम का नाम हटाकर कर वादी जीवालाल पिता धना का नाम दर्ज कर वादी जीवालाल पिता धना को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी जीवालाल अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी के पिता धना के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में जीवतराम नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में जीवतराम पिता धना की जगह जीवालाल पिता धना राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर में जीवतराम पिता धना की जगह जीवालाल पिता धना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री जीवालाल बनाम श्री मान तहसीलदार

वाद बाबतः– धारा 88 रा.टी. एक्ट व 136 भु राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– 54 / 2021 ई.दी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी :– श्री कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है किः–

ग्राम मेवडा में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 1044, 1046, 1047, 1048, 1050, 1052, 1053, 1207, 1208, 1216, 1217, 1218, 40, 907, 908 खेत किता 15, कुल रकबा 2. 5090 हैक्टेयर में जीवतराम पिता धना की जगह जीवालाल पिता धना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 13.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा